| | States/Union territoris | Seventh Plan | | Eighth Plan |
|---|---|---|---|---|
| | | Allocation | Released | Allocation |
| 5. | Himachal Pradesh | 1014 | 1348 | 1694 |
| 6. | Jammu & Kashmir | — | — | 2185 |
| 7. | Karnataka | 503 | 681 | 1927 |
| 8. | Kerala | 313 | 474 | 758 |
| 9. | Madhya Pradesh | 19907 | 23405 | 32666 |
| 10. | Maharashtra | 4517 | 6061 | 9944 |
| ll. | Manipur | 1251 | 1419 | 1903 |
| 12. | Orissa | 9313 | 11498 | 16479 |
| 13. | Rajasthan | 4725 | 5732 | 9297 |
| 14. | Sikkim | 177 | 227 | 330 |
| 15. | Tamilnadu | 676 | 911 | 1050 |
| 16. | Tripura | 1081 | 1430 | 1766 |
| 17. | Uttar Pradesh | 90 | 246 | 309 |
| 18. | West Bengal | 2833 | 4042 | 5971 |
| 19. | A & N Islands | 79 | 221 | 366 |
| 20. | Goa, Daman & Diu | 35 | 37 | 126 |
| | RESERVE | 7000 | — | — |
| | TOTAL | 75600 | 84695 | 125000 |

**बाल-श्रम का उन्मूलन**

862. **श्री दिग्विजय सिंह**:

**श्री सत्यप्रकाश मालवीय**:

**श्री कृष्ण लाल शर्मा**:

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कितने जिलों में बाल-मजदूरों की संख्या काफी अधिक हैं तथा यदि सरकार ने जिला स्तर पर बाल-श्रम के उन्मूलन के लिए कोई कदम उठाये हैं,तो वे क्या हैं और उसका अब तक क्या परिणाम रहा हैं;

(ख) बाल-श्रम के उन्मूलन से संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण ने कुछ राज्यों में खतरनाम उद्योगों में काम कर रहे बाल-श्रमिकों के कल्याण के लिए किसी योजना को अपनी मंजूरी दी हैं;

(ग) यदि हां,तो उन राज्यों की संख्या तथा नाम क्या हैं और राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना का ब्यौरा क्या हैं;और

(घ) बाल-श्रम के उन्मूलन से संबंधित राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना पर सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली धनराशि क्या हैं और उक्त योजना कब से तथा किस प्रकार से लागू की जाएगी ?

**श्रम मंत्री (श्री पी.ए.संगमा)**: (क) और(ख) राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने 100 ऐसे जिलों की पहचान की हैं जिनमें देश में बाल श्रम के मामले सबसे अधिक हैं । 100 जिलों की सूची विवरण में संलग्न हैं । (**नीचे देखिए**) यह निर्णय लिया गया हैं कि जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम के उन्मूलन के लिए परियोजनाओं को इन जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनागत योजना के अनुसार शुरू किया जाएगा । इस

योजना के अंतर्गत,कार्य से हटाए गए बालकों को विशेष स्कूलों के माध्यम से प्राथमिक स्तर की शिक्षा,व्यावसायिक प्रशिक्षण,पोषणाहार तथा बजीफा प्रदान किया जाएगा । इन 100 जिलों के प्रमुखों की एक कार्यशाल 13-14 सितम्बर,1995 को नई दिल्ली में आयोजित की जानी हैं । संबंधित कलक्टरों से अनुरोध किया गया हैं कि वे राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनागत योजना के आधार पर अपने संबंधित जिलों में परियोजना संबंधी प्रस्ताव तैयार करें ।

(ग) और(घ) केन्द्रीय बाल श्रम मंत्री की अध्यक्षता में,गठित राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण ने बाल श्रमिकों की पहचान करने,उन्हें मुक्त कराने और पुनर्वासित करने,के संबंध में एक कार्य योजना अपनायी हैं । इस कार्य योजना का मानीय प्रधान मंत्री जी और केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्रवाई के लिए पहले ही अग्रषित कर दिया गया हैं । इस कार्य योजना में विशेष करके जोखिमकारी व्यवसायों में बाल श्रम की समस्या से निपटने के लिए सभी प्रकार की अपेक्षित कार्रवाई शामिल की गई हैं । संक्षेप में, इसके तहत बाल श्रम उन्मूलन संबंधी प्रयास को प्रभावकारी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों की सेवाओं और योजनाओं की कार्यान्वयन स्तर-जिला स्तर पर अभिसारित करने की अपेक्षा की गई हैं । प्रस्ताव हैं कि सन् 2000 तक अनुमानतः 20 लाख बाल श्रमिकों को जोखिमकारी व्यवसायों से हटाया जाएगा । अनुमान हैं कि इस प्रयोजना के लिए 850 करोड़ रूपये की राशि की आवश्यकता होगी । कार्य से हटाए गए बालकों के लिए परियोजनाएं चलाने के लिए चालू वर्ष हेतु 34.4 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई हैं ।

**विवरण**

**1981 की जनगणना के अनुसार बाल श्रम के अत्यधिक सकेन्द्रण सहिंत राज्य/ जिलावार आंकड़े**

| राज्य | जिला | बाल श्रमिक |
|---|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश | महबूबनगर | 127141 |
| आन्ध्र प्रदेश | गुन्टुर | 123438 |
| आन्ध्र प्रदेश | करीमनगर | 116945 |
| आन्ध्र प्रदेश | कुयनूल | 113630 |
| आन्ध्र प्रदेश | अनन्थापुर | 98800 |
| आन्ध्र प्रदेश | ईस्टगोदावरी | 97844 |
| आन्ध्र प्रदेश | वेस्टकोदावरी | 94155 |
| आन्ध्र प्रदेश | वारंगल | 92992 |
| आन्ध्र प्रदेश | नालगोंडा | 92897 |
| आन्ध्र प्रदेश | कैशाना | 92044 |
| आन्ध्र प्रदेश | छित्तर | 88880 |
| आन्ध्र प्रदेश | प्रकाशम | 84298 |
| आन्ध्र प्रदेश | विशाखा-पटनम | 84191 |
| आन्ध्र प्रदेश | स्त्रीकाकुलम | 78133 |
| आन्ध्र प्रदेश | निजामावाद | 76411 |
| आन्ध्र प्रदेश | मडक | 74859 |
| आन्ध्र प्रदेश | ख़माम | 73408 |
| आन्ध्र प्रदेश | अदिलावाद | 171311 |
| आन्ध्र प्रदेश | कुड्डापाह | 68252 |
| आन्ध्र प्रदेश | विजयनगरम | 65254 |
| आन्ध्र प्रदेश | रंगारेड्डी | 61106 |
| आन्ध्र प्रदेश | रेल्लोर | 60884 |
| कुल (आन्ध्र प्रदेश) | | 1936873 |

| राज्य | जिला | बाल श्रमिक |
|---|---|---|
| बिहार | सिवान | 153319 |
| बिहार | सन्थाल परगना | 105676 |
| बिहार | रांची | 100422 |
| बिहार | पुरनिया | 94761 |
| बिहार | सिंह भूमि | 72139 |
| बिहार | सहरसा | 68821 |
| बिहार | मुंगेर | 48095 |
| कुल (बिहार) | | 643233 |
| गुजरात | पंचमहल | 81770 |
| गुजरात | सूरत | 54772 |
| कुल (गुजरात) | | 136542 |
| कर्नाटक | धारवाड़ | 113556 |
| कर्नाटक | गुलबर्ग | 102801 |
| कर्नाटक | बेलगाम | 94667 |
| कर्नाटक | विजापुर | 88848 |
| कर्नाटक | रायचुर | 79316 |
| कर्नाटक | बंगलौर | 79082 |
| कर्नाटक | मैसूर | 69721 |
| कर्नाटक | चित्रदुर्ग | 67418 |
| कर्नाटक | बेल्लेरी | 62373 |
| कर्नाटक | कोलर | 59731 |
| कर्नाटक | तूभकुर | 53317 |
| कर्नाटक | दक्षिण कन्नड़ | 50579 |
| कुल (कर्नाटक) | | 921409 |
| मध्य प्रदेश | बस्तर | 111944 |
| मध्य प्रदेश | रायपुर | 111197 |
| मध्य प्रदेश | सरगुजा | 77855 |
| मध्य प्रदेश | बिलासपुर | 76005 |
| मध्य प्रदेश | राजानंद गांव | 64816 |
| मध्य प्रदेश | वेस्ट निमार | 63640 |
| मध्य प्रदेश | रायगढ़ | 63406 |
| मध्य प्रदेश | मंडला | 61876 |
| मध्य प्रदेश | झबुआ | 58486 |
| मध्य प्रदेश | दुर्ग | 56813 |
| मध्य प्रदेश | बेतुल | 53624 |
| मध्य प्रदेश | छिदवाड़ा | 52551 |
| कुल(मध्य प्रदेश) | | 852213 |
| महाराष्ट्र | नानदेड | 114287 |
| महाराष्ट्र | परआनी | 101326 |
| महाराष्ट्र | औंरगाबाद | 94658 |
| महाराष्ट्र | धुले | 94825 |

| राज्य | जिला | बाल श्रमिक |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | ओस्मानाबाद | 87611 |
| महाराष्ट्र | याबातमल | 81800 |
| महाराष्ट्र | अहमदनगर | 79289 |
| महाराष्ट्र | नासिक | 77119 |
| महाराष्ट्र | चन्द्रपुर | 72585 |
| महाराष्ट्र | सोलापुर | 69572 |
| महाराष्ट्र | बुलदाना | 68643 |
| महाराष्ट्र | अकोला | 65401 |
| महाराष्ट्र | जलगांव | 63725 |
| महाराष्ट्र | बिड | 60969 |
| महाराष्ट्र | पुणे | 57624 |
| महाराष्ट्र | थाणे | 54092 |
| महाराष्ट्र | अमरावथी | 52507 |
| कुल(महाराष्ट्र) | | 1295493 |
| उड़ीसा | कोरापुट | 125132 |
| उड़ीसा | गंजाम | 96638 |
| उड़ीसा | कालाहण्डी | 68275 |
| उड़ीसा | सम्बलपुर | 67275 |
| उड़ीसा | मयूरभंज | 61947 |
| उड़ीसा | जालंगीर | 48688 |
| कुल (उड़ीसा) | | 467955 |
| राजस्थान | जयपुर | 59122 |
| राजस्थान | उदयपुर | 53567 |
| (कुल राजस्थान) | | 112689 |
| तमिलनाडु | मदुरई | 107815 |
| तमिलनाडु | नॉर्थ आर्कोट अम्बेदकर | 103487 |
| तमिलनाडु | सलेम | 102479 |
| तमिलनाडु | रामानंधापुरम | 83501 |
| तमिलनाडु | साऊथ आर्कोट | 80918 |
| तमिलनाडु | तिरूनेलवेल्ली-कट्टावोम | 78213 |
| तमिलनाडु | धरमापुरी | 74064 |
| तमिलनाडु | कोयम्बटूर | 68847 |
| तमिलनाडु | तिरूचिरापल्ली | 67533 |
| तमिलनाडु | पेरियार | 61676 |
| तमिलनाडु | छेंगलपट्टू एम जी आर | 53314 |
| कुल (तमिलनाडु) | | 881847 |
| उत्तर प्रदेश | देवरिया | 88429 |
| उत्तर प्रदेश | आजमगढ़ | 68960 |
| उत्तर प्रदेश | मिर्जापुर | 50510 |

| राज्य | जिला | बाल श्रमिक |
|---|---|---|
| उत्तर प्रदेश | बस्ती | 48920 |
| कुल (उत्तर प्रदेश) | | 256819 |
| पश्चिम बंगाल | 24 परगना | 82165 |
| पश्चिम बंगाल | मेदिनीपुर | 64319 |
| पश्चिम बंगाल | वेस्ट दिजापुर | 51741 |
| पश्चिम बंगाल | मुर्शिदावाद | 50974 |
| पश्चिम बंगाल | वर्द्धमान | 50646 |
| कुल (पश्चिम बंगाल) | | 299845 |
| कुल 100 जिले | | 7804918 |

**गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर रोक**

863. **श्री राघवजी**: क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)क्या केन्द्रीय सरकार ने देश में गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर कोई रोक लगाई हैं;यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं; और

(ख) क्या देश के भिन्न-भिन्न राज्यों ने गैर-आयोंडीन युक्त नमक की बिक्री पर राज्य-स्तयरीय कोई रोक लगाई हैं;यदि हां,तो किन-किन राज्यों में तथा कब से ऐसी रोक लगाई गई हैं ?

**खाद्य मंत्री (श्री अजित सिंह)**: (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा पटल पर रखी दी जाएगी।

**Formation of committees by Tobacco Board**

864. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether the Tobacco Board is empowered to form various committees to cater to its different interests;

(b) whether there is any proposal to expand the role of the Tobacco Board through such committees; and

(c) what steps are proposed to expand the role of the Tobacco Board to assist farmers?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) The Board is empowered to appoint such committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under section 7 of the Tobacco Board Act.

(b) No, Sir.

(c) Steps taken by the Tobacco Board to assist farmers include inter-alia;

(i) Planning and regulation of production of tobacco to match demand and supply;

(ii) implementing various developmental and extension schemes to improve the quality and yield of tobacco;

(iii) conducting auctions to ensure accurate weighment, classification and competitive prices;

(iv) negotiating with tobacco trade for fixation of Minimum Guaranteed Prices for Flue Cured Virginia Tobacco; and

(v) advising farmers through training programmes/meetings publicity to adopt improved varieties and package of practices recommended by the Central Tobacco Research Institute.

**बाल-श्रमिकों के लिए विशेष योजना**

865. **श्री सोम पाल**: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाल-श्रमिकों की समस्या को हल करने के लिए कोई विशेष योजना बनाई हैं ;

(ख) यदि हां,तो उसका विस्तृत ब्यौरा क्या हैं और उसे क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये गए हैं;